

30.7.25

पत्रावली पेश हुई। विधिवत्ता कादी

केन्द्रस्थित। पत्रावली दर्ज रजि. हूये

10 वर्ष से अधिक ही चुके हैं। बार-2

भावाज लगाने के बावजूद भी उपस्थित

नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी अदम

हाजिरी में जारी किया जाता है। पत्रावली

निर्णय श्रुमार होकर दाखिल दफ्तर

है।

सहायक कलेक्टर
एवं उपाखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़